न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या–109 / 2021
आरसीएमएस नं. 2021 / 109

1. जगदीश पुत्र बेगाराम जाति ब्राहम्ण निवासी किकरालियां तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
2. गोपाल राम पुत्र बेगाराम जाति ब्राहम्ण निवासी किकरालियां तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
3. बृजलाल पुत्र बेगाराम जाति ब्राहम्ण निवासी किकरालियां तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़

–अपीलांट

बनाम

1. आशी पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी 2 के.के.एम.–ए तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
2. लालचंद पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी 2 के.के.एम.–ए तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
3. गोपाल पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी 2 के.के.एम.–ए तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़

–रेस्पोडेंट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2021 द्वारा न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी रावतसर प्रकरण सं. 17 / 2021 अन्तर्गत धारा–177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अनवान स्टेट बनाम आशी आदि

उपस्थित

1. श्री देवदत्त भीडासरा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रवि कुमार गोदारा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या–1 ता 3
3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 4

निर्णय दिनांक 26.5.23

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट सं. 4 तहसीलदार रावतसर ने अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 1 ता 3 के विरूद्ध

---2

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

चक–2 के.के.एम.–ए की 2.049 हैक्टेयर भूमि पर बिना रूपान्तरण करवाये ईन्ट भट्टा का संचालन करने व कृषि भूमि को अकृषि रूप में उपयोग करने के आधार पर धारा–177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद सरकार बनाम आशी आदि वाद संख्या–267/2018 प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या–1 ता 3 ने उपस्थित आकर अपना जवाब प्रस्तुत करके अपनी कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने से इन्कार किया व वाद खारिज करने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23.11.2020 के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर पूर्व में बिना रूपान्तरण करवाये ईंट भट्टा संचालन करने व वर्तमान में ईंट भट्टा का संचालन बन्द करके वादग्रस्त भूमि कृषि के उपयोग में लिये जाने के आधार पर वाद आंशिक रूप से स्वीकार करके अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 1 ता 3 को 2500/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कर वाद में निर्णय व डिक्री पारित कर दी।

2. विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.20 को पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पोडेंट तहसीलदार राजस्व रावतसर ने विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.03.2023 को धारा–114 सी.पी.सी. के तहत विरूद्ध प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके पूर्व निर्णय दिनांक 23.11.2020 अपास्त करके वाद डिक्री करने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय में अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 1 ता 3 ने उपस्थित आकर अपना जवाब प्रस्तुत किया व रिव्यू प्रार्थना–पत्र को खारिज करने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2021 को रिव्यू प्रार्थना–पत्र स्वीकार करके पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री अपास्त कर दी व वाद स्वीकार करके वाद में वर्णित भूमि चक–2 के.के.एम.–ए की 2.049 हैक्टेयर भूमि को आराजी राज दर्ज करके कब्जा बहक सरकार लेने का आदेश अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2021 के द्वारा पारित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट के अभिभाषक उपस्थित आया। अभिभाषकगण न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया।
4. उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि रेस्पोडेंट द्वारा विचारण न्यायालय में धारा–177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत करके अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या–1 ता 3 की भूमि चक–2 के.के.एम.–ए तादादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2.049 हैक्टेयर भूमि को अकृषि कार्य के रूप में उपयोग करने के आधार पर रकबाराज करने का अनुतोष चाहा था विचारण न्यायालय ने उक्त वाद में दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 23.11.20 के द्वारा वाद आंशिक स्वीकार करके 2500/– रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया था। उक्त निर्णय व डिक्री वादग्रस्त भूमि पर मौका पर अकृषि कार्य नहीं करने के आधार पर पारित किया गया था। रेस्पोडेंट ने निर्णय व डिक्री दिनांक 23.11.20 के विरूद्ध दिनांक 26.03.21 को धारा–114 सी.पी.सी. के तहत रिव्ये प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.21 के द्वारा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि को रकबाराज दर्ज करने व भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया। रेस्पोडेंट द्वारा विचारण न्यायालय में धारा–114 सी.पी.सी. के तहत रिव्यू प्रार्थना–पत्र पेश किया है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पारित किसी भी निर्णय व डिक्री अथवा आदेश के विरूद्ध धारा–114 सीपीसी के तहत रिव्यू प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–228 सपठित चतुर्थ अनुसूची (1) में धारा–114 सी.पी.सी. को अपवर्जित किया है, इसलिये रिव्यू चलने योग्य ही नहीं थी। अपीलांट के अभिभाषक ने इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टांत RRD 1971 पृ. 194 प्रस्तुत किया। गुणावगुण पर बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत रिव्यू का मुख्य आधार यह लिया है कि "विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त भूमि को रकबाराज दर्ज करने का अनुतोष चाहा था परन्तु निर्णय व डिक्री के द्वारा केवलमात्र 2500/– रूपये अर्थदण्ड कायम किया है, रिव्यू स्वीकार करके वादग्रस्त भूमि को रकबाराज दर्ज किया जावे।" धारा–229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के तहत रिव्यू केवलमात्र निर्णय में कोई भूल या गलती जो अभिलेख देखने से प्रकट होती हो व ऐसा महत्वपूर्ण साक्ष्य जो निर्णय व डिक्री के समय सम्यक तत्परता के प्रयोग के पश्चात् भी उसके ज्ञान में नहीं था व पेश नहीं किया जा सका, के आधार पर रिव्यू प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा निर्णय या डिक्री में साक्ष्य का मूल्यांकन दोषपूर्ण करने अथवा निर्णय के अवलोकन से कोई भूल परिलक्षित नहीं होती तो निर्णय के विरूद्ध रिव्यू स्वीकार नहीं किया जा सकता। विचारण न्यायालय द्वारा मूल निर्णय व डिक्री दिनांक 23.11.20 में वादग्रस्त भूमि पर बिना संपरिवर्तन करवाये ईंट भट्टा संचालित करने के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का की रिर्पोट दिनांक 19.11.20 को आने पर यह तथ्य साबित था कि निर्णय के समय वादग्रस्त भूमि कृषि कार्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

के रूप में उपयोग पर ली जा रही थी व इसी आधार पर दिनांक 23.11.2020 को वाद आंशिक स्वीकार करके अपीलांट को अर्थदण्ड से दण्डित किया था व उक्त राशि भी जमा हो चुकी है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील हो सकती है। रिव्यू प्रार्थना–पत्र में उक्त निर्णय व डिक्री अपास्त नहीं की जा सकती। उक्त आधार अपील के हो सकते है, रिव्यू प्रार्थना–पत्र के नहीं। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRD 2015 पृ 38 RRT 2005 I पृ. 545 RBJ 2017 पृ. 490 DNJ 2023 I पृ. 227, RRT 2016 I 367, RRT 2015 II पृ. 1202 DNJ 2023 I (रिव्यू) पृ. 325 प्रस्तुत करके अपील स्वीकार करके निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2021 अपास्त करने का अनुतोष चाहा।

6. रेस्पोडेंट संख्या–1 ता 3 के अभिभाषक ने अपीलांट की बहस का समर्थन करते हुए अपील स्वीकार करने का कथन किया। राजकीय अभिभाषक बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत् रूप से पारित की गई है। प्रार्थना–पत्र में गलत धारा या गलत नियम अंकित करने से प्रकरण निरस्त नहीं किया जा सकता। विचारण न्यायालय के समक्ष राज्य पक्ष द्वारा रिव्यू धारा–229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश–47 नियम–1 सी. पी.सी. में अंकित आधार पर ही किया गया था। धारा–177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन करवाये अकृषि रूप में उपयोग लिये जाने पर भूमि को रकबा राज दर्ज करके कब्जा बहक सरकार लेने के अतिरिक्त अन्य कोई प्रावधान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 23.11.20 में उक्त भूल अभिलेख पर स्पष्ट है। विचारण न्यायालय ने तमाम विधिक तथ्यों की विवेचना करके अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है अपील खारिज की जावे।

7. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया पत्रावली व न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया।

8. अपीलांट ने विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 23.11.20 के विरूद्ध रिव्यू में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.21 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा रिव्यू प्रार्थना–पत्र धारा–114 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया था व अपीलांट ने यह आपत्ति प्रस्तुत की है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित किसी निर्णय या डिक्री के विरूद्ध रिव्यू धारा–229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम या आदेश 41 नियम 1 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया जा सकता है। धारा–114 सी.पी.सी. के तहत नहीं, क्योंकि धारा–228 सपठित चतुर्थ अनुसूची

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

की सूची (1) में धारा–114 को अपवर्जित कर दिया गया है। अपीलांट द्वारा इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टांत RRD 1971 पृ. 194 प्रस्तुत की है जिसमें भी यह निर्धारण किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध धारा–114 सी.पी.सी. के तहत रिव्यू नहीं किया जा सकता। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–208 के तहत प्रकाशित चर्तुथ अनुसूची की सूची प्रथम में सीपीसी की धारा व आदेश जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के वाद व कार्यवाही पर लागू नहीं होने की सूची दी गई है, जिसमें धारा–114 सी.पी.सी. लागू न होने का अंकन है। उक्त विवेचन से यह तथ्य साबित है कि विचारण न्यायालय में धारा–114 के तहत प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना–पत्र विधि द्वारा वर्णित होने के कारण खारिज योग्य है, परन्तु प्रकरण में गुणावगुण पर विवेचन करना भी उचित है। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना–पत्र पर में मुख्य आधार प्रार्थना–पत्र के पैरा सं. 2 में यह लिया गया है कि ''निर्णय दिनांक 23.11.2020 के तहत श्रीमान् न्यायालय द्वारा मात्र प्रतिवादी को 2500/– रूपये अर्थदण्ड ही लगाया है, जबकि उक्त वाद में वर्णित भूमि को रकबा राज दर्ज करने का निवेदन किया था, क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा बिना रूपान्तरण करवाये ईंट भट्टा चालाया था, जिस पर सरकार संपरिवर्तन शुल्क 1 लाख 72 हजार रूपये बकाया चल रहा है, जिसमें राज्य सरकार को अपूर्णीय क्षति हो रही है।'' रिव्यू प्रार्थना–पत्र के पैरा संख्या–3 में कथन किया है कि ''उक्त निर्णय दिनांक 23.11.2020 की अपील इसलिये नही की गई क्योंकि राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान होगा व प्रकरण लम्बा चलेगा।'' विचारण न्यायालय के समक्ष रिव्यू प्रार्थना–पत्र में रेस्पोडेंट द्वारा लिये गये दोनों आधार धारा–229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 47 नियम 1 सीपीसी में दिये गये आधारों की परिधि में नहीं आते है। किसी निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रिव्यू प्रस्तुत करने हेतु निर्णय या डिक्री में कोई भूल या गलती जो अभिलेख देखने से प्रकट होती हो या ऐसा महम्वपूर्ण साक्ष्य जो सम्यक तत्परता के प्रयोग के पश्चात् भी पेश नहीं किया जा सका, को साबित करना आवश्यक है। रेस्पोडेंट ने अपने प्रार्थना–पत्र में ऐसा कोई कथन नहीं किया निर्णय या डिक्री में यदि न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन गलत रूप से किया है व को भूल परिलक्षित हो रही है। निर्णय व डिक्री को रिव्यू में निरस्त नहीं किया जा सकता। रेस्पोडेंट का यह कथन कि राज्य पक्ष को आर्थिक नुकसान हो रहा है व प्रकरण लम्बा चलेगा। रिव्यू के आधार नहीं हो सकते। रेस्पोडेंट का यह कथन कि अपीलांट के विरूद्ध संपरिवर्तन शुल्क की राशि बकाया है इस वाद की विषयवस्तु नहीं है। इसलिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

यह भी रिव्यू का आधार नहीं माना जा सकता। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का की रिर्पोट से यह तथ्य साबित है कि निर्णय व डिक्री दिनांक 23.11.2020 पारित करने के समय वादग्रस्त भूमि कृषि कार्य के उपयोग में ली जा रही थी, इसलिये अर्थदण्ड पारित करना भी विधिसम्मत् है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत DNJ I (रेवेन्यू) पृ. 326 RRT 2015 II पृ. 1202, में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि रिव्यू प्रार्थना–पत्र में निर्णय व डिक्री के अवलोकन से यदि अभिलेख के अवलोकन से त्रुटि परिलक्षित हो वहीं रिव्यू स्वीकार किया जा सकता है अन्यथा रिव्यू प्रार्थना–पत्र आधारहीन होगा। न्यायिक दृष्टांत RRD 2015 पृ. 38, RRT 2005 I पृ. 545 व RBJ 2017 पृ. 496 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि किसी भी निर्णय या डिक्री में किया गया निर्धारण गलत हो सकता है, परन्तु उक्त निर्धारण रिव्यू का आधार नहीं हो सकता। DNJ 2023 I पृ. 227 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारण किया है कि रिव्यू प्रकरण में न्यायालय स्वंय के आदेश पर अपीलीय न्यायालय के रूप में नहीं बैठ सकता, रिव्यू की आड़ में प्रकरण का पुनः सुनना कानून में अनुभेय नहीं है। छदम भेष में रिव्यू एक अपील नहीं हो सकती। गलती को शुद्धीकरण हेतु रिव्यू की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है, परन्तु मत को प्रतिस्थापित हेतु नहीं। रिव्यू क्षेत्राधिकारिता के उपयोग में निर्णय पुनः नहीं लिया जा सकता। उपरोक्त विवेचन विशलेषण व न्यायिक दृष्टांतो के परिपेक्ष में अपील स्वीकार योग्य बनती है।

9. उपरोक्त विवेचन व विशलेषण के आधारों पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा रिव्यू प्रार्थना–पत्र में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2021 अपास्त की जाकर रिव्यू प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित मूल निर्णय व डिक्री दिनांक 23.11.20 यथावत रखी जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित लोटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 26.5.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/5/23

(करतार सिंह पूनियां)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)